अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम26)

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
कोजाराम पुत्र मंगलाराम वगैरा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जसोल तहसील पचपदा जिला बालोतरा		भैरूसिंह पुत्र निर्मलसिंह वगैरा जाति राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपदा जिला बालोतरा

मुकदमा संख्या :–269 / 2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.08.2024	यह राजस्व आवेदन प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के नोटिस तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. जारी करनें का निवेदन किया। तहसील स्तर पर सवारों की कमी को मदद्वेनजर रखतें हुए विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी नोटिस से तलब किया जावें। रजिस्ट्री खर्चा प्रार्थीगण वहन करेगा। वकील प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के नोटिस की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते–विप्रार्थीगण की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 30.08.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
30.8.24	पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अनु./पीठासीन अधिकारी ~~चुनाव~~ अवकाश कार्य में ~~व्यस्त~~ है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी तलबी दिनांक 25.9.2024 को पेश हैं।	
18.9.2024	पत्रावली तलब की गई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। चूंकि मुकदमा का निस्तारण [illegible] में एकता को [illegible] औचित्य प्रतीत नहीं [illegible] का आवेदन इसी स्तेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:56 IST
Reason: SelfAttested